रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 1974/वैशाख 17, 1896
No. 212] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 1974/VAISAKHA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1974

S.O. 285 (E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information—

Declaration

Election to the House of the People from the 2-Gulbarga Parliamentary Constituency in the State of Karnataka.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SIDRAMREDDE, ADVOCATE
STATION AREA,
PO: YADGIR
DIST. GULBARGA (KARNATAKA)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Dharamrao Sharnappa Afzalpurkar.

PLACE : Gulbarga.
DATED : April 24, 1974.

(Sd.) V. BALASUBRAMANIAN,
Returning Officer,
2-Gulbarga Parliamentary Constituency"

[F. No. 13(1)/74-Leg. II]
S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1974

का० आ० 285(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें उसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

कर्नाटक राज्य के 2—गुलबर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री धर्मराव शरनप्पा अफजलपुरकर की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए :—

सिदराम रेड्डी, एडवोकेट
स्टेशन एरिया,
डाकघर—यादगीर,
जिला—गुलबर्ग (कर्नाटक)

सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

(ह०) वी० बालासुब्रमण्यिन,
रिटर्निंग आफीसर,
2—गुलबर्ग, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।"

स्थान—गुलबर्ग।
तारीख—24 अप्रैल, 1974

[सं० एफ० 13(1)/74—विधा—II]
एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974